रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 72] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 22, 2012/चैत्र 2, 1934
No. 72] NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 22, 2012/CHAITRA 2, 1934

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2012

सं. एल-1/(3)/2009-सीईआरसी.—केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 178 के अधीन प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात् केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) विनियम, 2009 (जिसे इसे इसमें इसके पश्चात् ''मूल विनियम'' कहा गया), का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण तथा अन्य सहबद्ध विषयों में संयोजकता, दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्यकालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करना) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2012 है।

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **मूल विनियम के विनियम 8 का संशोधनः**

(1) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (7) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्:-

"(7) इस विनियम के खंड (6) और इंफर्म ऊर्जा के संबंध में पीपीए के किसी उपबंध में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उत्पादन केन्द्र, जिसमें कैप्टिव उत्पादन संयंत्र भी हैं, की ऐसी इकाई, जिसे ग्रिड के लिए संयोजकता प्रदान की जा चुकी हो, को अपने वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केंद्र की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त करने के

पश्चात् पहले समक्रमण की तारीख से छह मास की अनधिक अवधि के लिए परीक्षण के दौरान, जिसमें पूर्ण भार परीक्षण भी है, ग्रिड में इंफर्म ऊर्जा के अंतःक्षेपण की अनुज्ञा दी जाएगीः

परंतु यह कि आयोग आपवादिक मामलों में, छह मास की अवधि के पूरा होने के कम से कम दो मास पूर्व उत्पादन कंपनी अंतःक्षेपण की परीक्षण अवधि, जिसमें पूर्ण भार परीक्षण भी है, को और आगे बढ़ा सकेगाः

परंतु यह कि संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र ऐसी अनुज्ञा देते समय ग्रिड सुरक्षा को ध्यान में रखेगाः

परंतु यह कि यह साबित करने का दायित्व कि उत्पादन केन्द्र के यूनिट से इंफर्म ऊर्जा का इंजेक्शन परीक्षण तथा कमीशनिंग के प्रयोजन के लिए किया गया है, उत्पादन कंपनी का होगा तथा संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से पूर्व ऊर्जा के अंतःक्षेपण के प्रत्येक अवसर की ऐसी जानकारी मांगेगा । इसके लिए, उत्पादक अंतःक्षेपण के दौरान और आशयित विनिर्दिष्ट परीक्षण तथा कमीशनिंग कार्यकलाप के पर्याप्त ब्यौरे प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र को प्रदान करेगाः

परंतु यह कि इस प्रकार अंतःक्षेपित इंफर्म ऊर्जा को उत्पादन केन्द्र की यूनिट (यूनिटों) का अननुसूचित विनियम (यूआई) माना जाएगा तथा उत्पादक को इंफर्म ऊर्जा के ऐसे अंतःक्षेपण के लिए समय-समय पर यथासंशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अननुसूचित विनियम प्रभार तथा संबंधित मामलों) विनियम, 2009 के उपबंधों के अनुसार संदाय किया जाएगा ।

(2) मूल विनियम के विनियम 8 के खंड (8) के परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित दो परंतुक जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"परंतु यह और कि ऐसी समर्पित लाइन का संनिर्माण क्षमता के तत्स्थानी फेजों में केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा किया जाएगा, जिसके दिए गए समय के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए चालू होने की संभावना है कि उत्पादन कंपनी के मुख्य संयंत्र पैकेजों, जैसे थर्मल उत्पादन केन्द्र की दशा में, टर्बाइन आइलैंड, तथा स्टीम जनरेटर आइलैंड या ईपीसी संविदा तथा कमीशन किए जाने वाले फेज या फेजों की तत्स्थानी क्षमता के लिए हाइड्रो उत्पादन केन्द्र की दशा में, मुख्य सिविल संकर्म पैकेज या ईपीसी संविदा, ऐसी संविदा मूल्यों की राशि के न्यूनतम 10% के अधीन रहते हुए, के लिए अग्रिम में संदाय पहले ही कर दिया गया हैः

परंतु यह है कि यदि उत्पादन परियोजना में विलंब होता है या इसे छोड़ दिया जाता है तो ऐसी समर्पित पारेषण लाइन के लिए पारेषण प्रभार उत्पादक द्वारा संदेय होंगे ।

3. **विनियम 12 का संशोधनः** (1) मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (1) के तीसरे परंतुक के स्थान पर, निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह भी कि इस पारेषण प्रणाली के ऐसे संवर्धन का संनिर्माण क्षमता के तत्स्थानी फेज में सीटीयू द्वारा या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी किया जा सकेगा जिसके दिए गए समय-सीमा के भीतर यह सुनिश्चित करने के लिए चालू किए जाने की संभावना है कि उत्पादन कंपनी ने मुख्य संयंत्र पैकेजों, अर्थात् थर्मल उत्पादन केन्द्र की दशा में टर्बाइन आइलेंड और स्टीम जनरेटर आइलैंड या ईपीसी संविदा तथा कमीशन किए जाने वाले फेज या फेजों की तत्स्थानी क्षमता के लिए हाइड्रो उत्पादन केन्द्रों की दशा में, प्रमुख सिविल संकर्म पैकेज या ईपीसी संविदा, ऐसी संविदा मूल्यों की राशि के न्यूनतम 10% के अधीन रहते हुए, अग्रिम में राशि दे दी है ।

(2) मूल विनियम के विनियम 12 के खंड (1) के तीसरे परंतुक के पश्चात्, निम्नलिखित परतुंक अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि उत्पादन कंपनी से दीर्घ-कालिक ऊर्जा क्रय करार पर हस्ताक्षर करके फायदाग्राहियों को फर्मिंग अप करने के पश्चात् ऊर्जा क्रय करार की प्रति के साथ उसे नोडल अभिकरण को अधिसूचित करने की, अपेक्षा की जाएगी ।

4. **विनियम 15क का जोड़ा जानाः** मूल विनियम के विनियम 15 के पश्चात् एक नया विनियम 15क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"**15क. ऊर्जा क्रय करार को समाप्त करने के बारे में सूचनाः** (1) जहां दीर्घकालिक पहुंच ग्राहक के ऊर्जा क्रय करार के संपूर्ण या उसके भाग को उक्त करार के उपबंधों के अनुसार या सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय या अधिकरण द्वारा समाप्त किया जाता है, वहां दीर्घ-कालिक पहुंच ग्राहक द्वारा ऊर्जा क्रय करार की ऐसी समाप्ति की सूचना तत्काल किंतु जो ऐसी समाप्ति की तारीख से दो सप्ताह से अन्यून हो, नोडल अभिकरण को दी जाएगीः

परंतु यह कि ऊर्जा क्रय करार की पारस्परिक समाप्ति या दीर्घ-कालिक पहुंच के प्रारंभ की अनुसूचित तारीख से एक वर्ष से अधिक की अवधि के लिए दीर्घ-कालिक पहुंच ग्राहक द्वारा दीर्घ-कालिक पहुंच का उपयोग न किए जाने की दशा में, यथास्थिति, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी ऐसे दीर्घ-कालिक ग्राहक से दीर्घ-कालिक

पहुंच को अभ्यर्पित करने के लिए कह सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि ऐसे दीर्घ-कालिक पहुंच से किसी अन्य उत्पादन परियोजना, जिसने दीर्घ-कालिक पहुंच के लिए आवेदन किया है, को क्षति होने की संभावना हो:

परंतु यह और कि, यथास्थिति, केन्द्रीय पारेषण उपयोगिता या पारेषण अनुज्ञप्तिधारी इस संबंध में समुचित निदेश के लिए आयोग के पास आ सकेंगे:

परंतु यह भी कि ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति या पूर्ववर्ती दो परंतुकों के अनुसार दीर्घ-कालिक पहुंच को अभ्यर्पित करने पर, दीर्घ-कालिक पहुंच ग्राहक इन विनियमों के विनियम 18 के अधीन यथा अपेक्षित पारेषण प्रभारों का संदाय करने का दायी होगा ।

(2) इस विनियम के खंड (1) के अनुसार, सूचना की प्राप्ति पर नोडल अभिकरण यथास्थिति, उसी पारेषण कॉरीडोर के संपूर्ण या भाग के लिए मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य आवेदकों, यदि कोई हो, के आवेदन पर विचार करेगा ।

5. **विनियम 16 का संशोधनः** मूल विनियम के विनियम 16 के पश्चात्, एक नया विनियम 16क जोड़ा जाएगा, अर्थात्:

"16क. इन विनियमों के विनियम 15 के उपबंधों के अनुसार, ऊर्जा क्रय करार की समाप्ति या दीर्घ-कालिक पहुंच के अभ्यपर्ण के बारे में सूचना प्राप्त होने पर तथा इसमें यथा उल्लिखित दीर्घ-कालिक पहुंच तथा मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए आवेदनों, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् नोडल अभिकरण संबंधित प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और राज्य भार प्रेषण केन्द्र को कुछ अन्य आवेदक को दीर्घ-कालिक पहुंच या मध्य-कालिक निर्बाध पहुंच प्रदान किए जाने तक, समय-समय पर, यथा संशोधित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में निर्बाध पहुंच) विनियम, 2008 के अनुसार अल्प-कालिक निर्बाध पहुंच के लिए शेष क्षमता पर विचार करने के लिए सूचित करेगा ।

राजीव बंसल, सचिव

[विज्ञापन III/4/असा./150/11]

टिप्पण- मूल विनियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3 ,खंड 4, संख्या 140 में तारीख 10.08.2009 का प्रकाशित किए गए थे तथा मूल विनियम के प्रथम संशोधन को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-3, खंड 4, संख्या 225 में तारीख 7.9.2010 को प्रकाशित किया गया था ।

CENTRAL ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st March, 2012

No.-L-1/(3)/2009-CERC.—In exercise of powers conferred under section 178 of the Electricity Act, 2003 and all other powers enabling it in this behalf, and after previous publication, the Central Electricity Regulatory Commission hereby makes the following regulations, to amend Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters) Regulations, 2009 (hereinafter referred to as "the Principal Regulations", namely :

1. Short title and commencement: (1) These regulations may be called the Central Electricity Regulatory Commission (Grant of Connectivity, Long-term Access and Medium-term Open Access in inter-State Transmission and related matters)(Second Amendment) Regulations, 2012.

(2) These regulations shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Regulation 8 of the Principal Regulations:

(1) Clause (7) of Regulation 8 of the Principal Regulations shall be substituted as under, namely:

"(7) Notwithstanding anything contained in clause (6) of this regulation and any provision with regard to sale of infirm power in the PPA, a unit of a generating station, including a captive generating plant which has been granted

1005 GI/12-2

connectivity to the grid shall be allowed to inject infirm power into the grid during testing including full load testing before its COD for a period not exceeding six months from the date of first synchronization after obtaining prior permission of the concerned Regional Load Despatch Centre:

Provided that the Commission may allow extension of the period for testing including full load testing, and consequent injection of infirm power by the unit, beyond six months, in exceptional circumstances on an application made by the generating company at least two months in advance of completion of six month period:

Provided further that the concerned Regional Load Despatch Centre while granting such permission shall keep the grid security in view:

Provided also that the onus of proving that the injection of infirm power from the unit(s) of the generating station is for the purpose of testing and commissioning shall lie with the generating company, and the respective RLDC shall seek such information on each occasion of injection of power before COD. For this, the generator shall provide RLDC sufficient details of the specific testing and commissioning activity, its duration and intended injection etc.:

Provided also that the infirm power so injected shall be treated as Unscheduled Interchange of the unit(s) of the generating station and the generator shall be paid for such

injection of infirm power in accordance with the provisions of the Central Electricity Regulatory Commission (Unscheduled Interchange Charges and related matters) Regulations, 2009, as amended from time to time."

(2) The following two provisos shall be added after the proviso to clause (8) of Regulation 8 of the Principal Regulations, namely:

"Provided further that the construction of such dedicated transmission line may be taken up by the CTU or the transmission licensee in phases corresponding to the capacity which is likely to be commissioned in a given time frame after ensuring that the generating company has already made the advance payment for the main plant packages i.e. Turbine island and steam generator island or the EPC contract in case of thermal generating station and major civil work packages or the EPC contract in case of hydro generating stations for the corresponding capacity of the phase or the phases to be commissioned, subject to a minimum of 10% of the sum of such contract values:

Provided also that the transmission charges for such dedicated transmission line shall be payable by the generator even if the generation project gets delayed or is abandoned."

3. **Amendment to Regulation 12:** (1) The third proviso to clause (1) of Regulation 12 of the principal regulations shall be substituted as under:

"Provided also that the construction of such augmentation

of the transmission system may be taken up by the CTU or the transmission licensee in phases corresponding to the capacity which is likely to be commissioned in a given time frame after ensuring that the generating company has released the advance for the main plant packages i.e. Turbine island and steam generator island or the EPC contract in case of thermal generating station and major civil work packages or the EPC contract in case of hydro generating stations for the corresponding capacity of the phase or the phases to be commissioned, subject to a minimum of 10% of the sum of such contract values:"

(2) The following proviso shall be inserted after the third proviso to clause (1) of Regulation 12 of the Principal Regulations.-

"Provided that a generating company after firming up the beneficiaries through signing of long term Power Purchase Agreement(s) shall be required to notify the same to the nodal agency along with the copy of the PPA."

4. Addition of Regulation 15A: A new regulation shall be added after Regulation 15 of the Principal Regulations as under, namely:

"15A. Intimation regarding termination of Power Purchase Agreement: (1) Where the entire or part of the Power

Purchase Agreement(PPA) of the long term access customer is terminated in accordance with the provisions of the said agreement or through determination by a court or tribunal or commission of competent jurisdiction, it shall be incumbent on the long term access customer to give intimation about such termination of PPA to the nodal agency immediately but not later than two weeks from the date of such termination;

Provided that in the event of mutual termination of PPA or non utilization of long term access by the long term access customer for a period exceeding one year from the scheduled date of commencement of long term access, the Central Transmission Utility or the transmission licensee, as the case may be, may ask such long term customer to surrender the long term access after being satisfied that because of such long term access, any other generation project, which has applied for long-term access, is likely to get stranded:

Provided further that Central Transmission Utility or the transmission license, as the case may be, may approach the Commission for appropriate directions in this regard:

Provided also that on termination of the Power Purchase Agreement or surrender of long term access in terms of the preceding two provisos, the long term access customer shall

be liable to pay the transmission charges as required under Regulation 18 of these regulations.

(2) The nodal agency on receipt of intimation in accordance with clause (1) of this regulation may consider the applications of other applicants, if any, for grant of medium term open access for the whole or part of the same transmission corridor, as the case may be.

5. **Amendment to Regulation 16**: A new regulation shall be added after Regulation 16 of the Principal Regulations as under, namely:

"16A. On receiving the intimation regarding termination of Power Purchase Agreement, or surrender of long term access in accordance with the provisions of Regulation 15A of these regulations and after considering the applications for long-term access and medium-term open access, if any, as mentioned therein, the nodal agency shall inform the Regional Load Despatch Centre and State Despatch Centre concerned to consider the remaining capacity for processing the request for short term open access in accordance with the Central Electricity Regulatory Commission (Open Access in inter-State Transmission) Regulations, 2008, as amended from time to time, till long

term access or medium term open access is granted to some other applicant."

RAJIV BANSAL, Secy.
[ADVT. III/4/Exty./150/11]

Note: The principal regulations were notified in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser No.140 dated 10.8.2009 and the first amendment to the principal regulations was notified in the Gazette of India Extraordinary Part III Section 4 at Ser No.225 dated 7.9.2010.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.